न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया, गिरिडीह

सुन्दर विश्वकर्मा बनाम् सुनिल भगत वगै0

विविध वाद संख्या –77 / 2024

U/S – 144 Cr.P.C.

आदेश की क्र०सं० और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

प्रथम पक्षः–

1. सुन्दर विश्वकर्मा, पिता – स्व0 दर्शन विश्वकर्मा,

साकिन – खुट्टा, थाना– सरिया, जिला– गिरिडीह।

बनाम्

द्वितीय पक्षः–

1. सुनिल भगत, पिता – मोती भगत,
2. प्रहलाद भगत, पिता – स्व0 बुधन भगत,
3. श्रीकांत भगत, पिता – स्व0 बुधन भगत,
4. नरेश भगत, पिता – स्व0 बुधन भगत,
5. बब्लु भगत, पिता – स्व0 अनील भगत,
6. विवेक भगत, पिता – स्व0 अनील भगत,
7. शम्भु भगत, पिता – स्व0 भुनेश्वर भगत,
8. चंदन भगत, पिता – शम्भु भगत,
9. पिन्टु भगत, पिता – सुनिल भगत,
10. मुकेश भगत, पिता – सुनिल भगत,

सभी साकिन– खुट्टा, थाना– सरिया, जिला– गिरिडीह।

आदेश

इस वाद की कार्यवाही आवेदक के आवेदन पत्र एवं थाना प्रभारी, सरिया से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन करने के पश्चात प्रारंभ की गई। वाद की कार्यवाही प्रारंभ कर दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए अपने–अपने दावे के समर्थन में कारण–पृच्छा की माँग की गई।

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
खुंटा	63	1428	1 ए0 45 डी0 मधे 12 डी0	उ0– रास्ता, द0 + पु0– नीज विकेता, प0– केशो पाण्डेय।

इस न्यायालय से निर्गत नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् उभय पक्ष / उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपने–अपने दावे के समर्थन में लिखित कथन एवं राजस्व दस्तावेज समर्पित किये।

प्रथम पक्ष

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 09.05.2024 को लिखित आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित किया गया, जो अभिलेख में संलग्न हैं :–

1. लिखित आवेदन – कुल 05 पृष्ठ, **प्रदर्श A-1**

3. दर्शन मिस्त्री के नाम से ऑफलाईन रशीद की छायाप्रति, कुल – 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-3**
4. नजरिया नक्शा की छायाप्रति– कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-4**
5. सुन्दर विश्वकर्मा के आधार कार्ड की छायाप्रति, कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-5**

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 09.05.2024 को समर्पित लिखित कथन में संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

आवेदन का प्वांइट नं0 04 – यह कि प्रथम पक्ष को यह जमीन इनके पिता के नाम से केवाला से प्राप्त है, केवाला प्रथम पक्ष के पिता दर्शन मिस्त्री, वल्द जानकी मिस्त्री के नाम से केवाला से प्राप्त जमीन है यह केवाला लेदो भगत, वल्द दमरी भगत से प्राप्त है। केवाला दिनांक – 04.06.1951 को प्राप्त है, जिसका केवाला संख्या 3569 है जमीन अंचल +थाना – सरिया, मौजा – खुट्टा परगना रामपुर, थाना नं0 – 92, खाता नं0 – 63, प्लॉट नं0 – 1428, रकबा – 1 एकड़ 45 डी0 मधे रकबा – 12 डी0 चौहदी उ0 – रास्ता, द0 + पू0 – नीज विकेता, प0 – केशो पाण्डेय अवस्थित है।

आवेदन का प्वांइट नं0 05 – यह कि उपरोक्त जमीन का दाखिल खारिज करवा कर प्रथम पक्ष के सदस्य शांतिपूर्वक दखलकार चले आ रहे है, अंचल कार्यालय, सरिया के पंजी 2 में दर्शन मिस्त्री के नाम पर जमाबंदी है जो पंजी 2 के भोलूम नं0 – 03, पेज नं0 – 118 में दर्ज है राजस्व रसीद 2015 तक निर्गत है।

आवेदन का प्वांइट नं0 06 – यह कि 02.05.2024 को द्वित्तीय पक्ष के सदस्यगण कुछ गुन्डो के साथ उपरोक्त जमीन पर आये और उस जमीन पर ईटा इक्ट्ठा करके और नीव खोदना शुरू कर दिया। प्रथम पक्ष और उनके परिवार के सदस्यगण उन्हें नीव खोदने से रोका तो द्वित्तीय पक्ष, प्रथम पक्ष और उनके परिवार के सदस्यों को परिवार के सदस्य को मारने पर उतारू हो गये। परन्तु मोहल्ले के लोग के समय पर हस्तक्षेप करने के स्थिति नियंत्रण में रही है। घटना के तुरंत बाद मामले की सूचना संबंधित थाने को दी गई परन्तु संबंधित थाने द्वारा अभी तक कोई कार्यवाई नहीं की गई है।

द्वित्तीय पक्ष

द्वित्तीय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए, परन्तु उनकी ओर से कोई भी लिखित कथन/राजस्व दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया।

थाना प्रभारी, सरिया का प्रतिवेदन –

थाना प्रभारी, सरिया का DR No. – 999/24, दिनांक – 21.05.2024, अनुलग्नक सहित कुल – 01 पृष्ठ (प्रतिवेदन – 01 पृष्ठ) – प्रदर्श C-1

विष्लेषण एवं निष्कर्ष

उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कथन/कारण –पृच्छा, राजस्व दस्तावेज एवं थाना के प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि –

1. विवादित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
खुंटा	63	1428	1 ए0 45 डी0 मधे 12 डी0	उ0– रास्ता, द0 + पु0– नीज विकेता, प0– केशो पाण्डेय।

2. **प्रथम पक्ष** का कहना है कि उक्त विवादित भूमि, केवाला संख्या– 3569, दिनांक – 04.06.1951 के माध्यम से, आवेदक के पिता दर्शन मिस्त्री, पिता – जानकी मिस्त्री को प्राप्त है। उक्त केवाला का दाखिल खारिज होकर, रजिस्टर – II के भाग संख्या – 03, पृष्ठ संख्या – 118 पर दर्शन मिस्त्री के नाम पर दर्ज होकर, वर्ष 2015 तक राजस्व रसीद निर्गत है। (**प्रदर्श A-2** एवं **प्रदर्श A-3**)

3. **द्वित्तीय पक्ष** के द्वारा अपने दावा के समर्थन में कोई भी राजस्व दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया है।

4. **थाना प्रभारी, सरिया** के DR No. – 999/24, दिनांक – 21.05.2024 में प्रतिवेदित किया गया है कि ***"उक्त जमीन पर प्रथम पक्ष का कब्जा है, जहाँ द्वित्तीय पक्ष वर्त्तमान में कब्जा करना चाहता है।"***

उक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि उक्त विवादित भूमि, प्रथम पक्ष के पिता दर्शन मिस्त्री को केवाला से प्राप्त हुआ है तथा दाखिल खारिज होकर उनके नाम से सरकारी लगान रसीद निर्गत हो रहा है, तथा थाना के द्वारा प्रश्नगत भूमि पर प्रथम पक्ष का कब्जा बताया गया है।

अतः इस वाद में प्रथम पक्ष के विरूद्ध निर्गत निषेधाज्ञा को वापस लिया जाता है; तथा द्वित्तीय पक्ष के विरूद्ध निर्गत निषेधाज्ञा को संपूष्ट किया जाता है एवं द्वित्तीय पक्ष को उक्त भूमि पर जाने से रोक लगाया जाता है।

असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

उभय पक्ष को आदेश से अवगत करायें।

कानुन व्यवस्था संधारण हेतु आदेश की प्रति थाना एवं अंचल कार्यालय को भेजें।

इसके साथ ही वाद को समाप्त घोषित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

05.08.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी

बगोदर–सरिया।

05.08.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी

बगोदर–सरिया।

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.08.12 11:22:12 +05:30
Location: 192.168.1.5